

पत्रांक-7/औषधि-07-01/2017-158(7)A

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना
क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना,
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक : 16-3-18

विषय: स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-104-औषधि नियंत्रण-0001 औषधि नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों, अन्य मदों में कुल-₹2,91,56,254/- (दो करोड़ एकान्चे लाख छप्पन हजार दो सौ चौवन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या- 15(7)ब दिनांक-15.5.17, 30(7)ब दिनांक-04.07.17, 52(7)ब दिनांक-30.08.17, 64(7)ब दिनांक-20.09.17, 104(7)ब दिनांक-05.12.17, 138(7)ब दिनांक-06.02.18 एवं 150(7)ब दिनांक-05.03.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों, वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल-₹2,91,56,254/- (दो करोड़ एकान्चे लाख छप्पन हजार दो सौ चौवन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-104-औषधि नियंत्रण-0001 औषधि नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20.2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से एवं पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-185(7) दिनांक-23.01.18 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-217(7) दिनांक-13.03.18) से प्राप्त राशि से तथा तृतीय अनुपूरक आगणन (वित्त विभाग के पत्रांक-50D ब15/बी0एस0जी0-06/2018-307/वि0 दिनांक-15.03.18) के तहत प्राप्त राशि से निकासी किया जायेगा ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना तथा सम्बंधित सिविल सर्जन होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।


16/3/18

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. कय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 96(9) दिनांक 18.02.99, 142(9) दिनांक 15.03.2001, 241(9) दिनांक 21.05.2002, 379) दिनांक 16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा ।
8. आवंटित राशि से किए गए कय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
9. राशि का विचलन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।
10. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
11. सम्बंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,





(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक : 158(7)9

पटना, दिनांक : 16-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी-7, 15/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव


शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06 लोक स्वास्थ्य-104-औषध नियंत्रण-001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	कुल योग	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना	0	0	0	0	0	0	0	131154	131154	119(15)/8.2.18
2	क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमखल, पटना	600000	30000	18000	110000	6000	30000	794000	0	794000	127/2.2.18
3	सिविल सर्जन, पटना	1500000	75000	45000	165100	15000	75000	1875100	0	1875100	914/5.2.18
4	सिविल सर्जन, भोजपुर	840000	42000	25200	0	8400	42000	957600	0	957600	346/27.1.18
5	सिविल सर्जन, गाएलागंज	1300000	91000	65000	0	13000	31000	1500000	0	1500000	2714/12.12.17
6	सिविल सर्जन, बेतिया	1800000	90000	54000	0	18000	90000	2052000	0	2052000	2373/9.12.17
7	सिविल सर्जन, वैशाली	2100000	120000	104800	0	23100	167000	2514900	0	2514900	226/1.2.18
8	सिविल सर्जन, शेखपुरा	350000	17500	10500	0	17500	4500	400000	0	400000	172/8.2.18
9	सिविल सर्जन, नालन्दा	850000	42500	25500	0	42500	42500	1003000	0	1003000	524/19.2.18
10	सिविल सर्जन, लखीसराय	130000	6500	3900	0	7000	6500	153900	0	153900	201/8.2.18
11	सिविल सर्जन, सीतामढ़ी	420000	21000	12600	0	21000	21000	495600	0	495600	500/15.2.18
12	सिविल सर्जन, भागलपुर	600000	30000	18000	0	30000	30000	708000	0	708000	432/5.2.18
13	सिविल सर्जन, मधुबनी	1200000	60000	36000	0	12000	60000	1368000	0	1368000	346/8.2.18
14	सिविल सर्जन, पूर्णिया	1200000	60000	36000	0	12000	60000	1368000	0	1368000	321/3.2.18
15	सिविल सर्जन, जहानाबाद	600000	30000	18000	0	6000	30000	684000	0	684000	2655/18.12.17
16	सिविल सर्जन, सहरसा	1200000	60000	36000	0	12000	24000	1332000	0	1332000	2500/15.12.17
17	सिविल सर्जन, खगड़िया	800000	40000	24000	0	8000	40000	912000	0	912000	324/8.2.18
18	सिविल सर्जन, अरवल	450000	22500	13500	0	22500	22500	531000	0	531000	176/6.2.18
19	सिविल सर्जन, सिवान	400000	20000	12000	0	20000	20000	472000	0	472000	56/8.2.18
20	सिविल सर्जन, समस्तीपुर	1200000	60000	36000	0	6000	60000	1362000	0	1362000	2544/7.12.17
21	सिविल सर्जन, औरंगाबाद	400000	20000	12000	0	20000	20000	472000	0	472000	2652/29.11.17
22	सिविल सर्जन, सारण, छपरा	1200000	60000	36000	0	6000	60000	1362000	0	1362000	495/24.2.18
23	सिविल सर्जन, मुंगेर	600000	30000	18000	0	30000	30000	708000	0	708000	360/26.2.18
24	सिविल सर्जन, मोतिहारी	600000	30000	18000	0	30000	30000	708000	0	708000	3067/7.12.17
25	सिविल सर्जन, बक्सर	600000	30000	18000	0	30000	30000	708000	0	708000	1731/8.8.17
26	सिविल सर्जन, जमुई	600000	30000	18000	0	30000	30000	708000	0	708000	3005/22.12.17
27	सिविल सर्जन, कटिहार	600000	30000	18000	0	30000	30000	708000	0	708000	781/7.3.18
28	सिविल सर्जन, बेगुसराय	1860000	102000	38000	0	14000	44000	2058000	0	2058000	2860/9.12.17
29	सिविल सर्जन, दरभंगा	1000000	50000	30000	0	10000	20000	1110000	0	1110000	2242/29.11.17
	कुल योग:-	25000000	1300000	800000	275100	500000	1150000	29025100	131154	29156254	

(दो करोड़ एकान्च लाख छप्पन हजार दो सौ चौवन रूपये मात्र)

158(F)A
16-3-18

16/3/18

सरकार के विशेष सचिव
बिहार

उपबंध की स्थिति (विपत्र कोड 20-2210061040001)

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि / पुनर्विनियोग / वृत्तीय अनुपूरक से प्राप्त	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001-01-01)	70498000	45498000	25000000	70498000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	60985000	59685000	1300000	60985000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	9328000	8528000	800000	9328000	0
4	परिवहन भत्ता (000101-05)	377000	101900	275100	377000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	1009000	509000	500000	1009000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	1432000	282000	1150000	1432000	0
	योग 20-2210.06.104.0001.01 वेतन	143629000	114603900	29025100	143629000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	494000	362265	131154	493419	581
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	200000	200000	0	200000	0
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	4100000	4100000	0	4100000	0
10	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	100000	50000	0	50000	50000
11	दूरभाष (0001-13-03)	20000	20000	0	20000	0
12	विधि प्रभार (0001-13-05)	200000	200000	0	200000	0
13	दर्दा / पोषाक (0001-13-06)	50000	50000	0	50000	0
14	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	558000	0	0	0	558000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	200000	200000	0	200000	0
16	दवा भंडार (0001-21-02)	50000	50000	0	50000	0
17	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	8648000	8647000	0	8647000	1000
18	सविदा सेवारत (0001-28-02)	1100000	1100000	0	1100000	0
19	मशीने एवं उपकरण (0001-52-01)	200000	200000	0	200000	0
	कुल योग	159549000	129783165	29156254	158939419	609581

158(F)A

16-8-18

158(F)A

सरकार के विशेष सचिव

A/S

16/3/18